न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.
बईजलास पीठासीन अधिकारी हॅसमुख कुमार आर.ए.एस.

नामान्तकरण अपील सं. 1/2019

अपीलाण्ट अर्जुनसिंह पुत्र जयसिंहजी जाति राजपूत आयु व्यस्क निवासी कालन्द्री तहसील व जिला सिरोही	बनाम	रेस्पोण्टस 1– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सिरोही 2– सरपंच ग्राम पचायत कालद्री पंचायत समिति सिरोही

उपस्थित :–
1– अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री पदमाराम चौहान
2– रेस्पोण्ट संख्या 1 स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार (ना.तह. कालन्द्री)

अपील अर्न्तगत धारा 75 राज.भू.राजस्व अधिनियम बविरूद्व स्वीकृत करने से नामान्तकरण (म्यूटेशन) संख्या 727 दिनांक 11–6–2007 को ग्राम पंचायत कालन्द्री तह.व जि.सिरोही

निर्णय   दिनांक 12–2–2020

अपीलाण्ट ने जरिये वकील यह अपील अर्न्तगत धारा 75 राज.भू.राजस्व अधिनियम बविरूद्व स्वीकृत करने से नामान्तकरण (म्यूटेशन) संख्य 727 दिनांक 11–6–2007 को ग्राम पंचायत कालन्द्री तहसील व जिला सिरोही को करने बाबत विरूद्व रेस्पोडेण्टस संख्या 1 व 2 इस न्यायालय मे दिनांक 8–3–2019 को पेश की गई । उक्त अपील का संक्षेप्त मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने उक्त अपील के माध्यम से यह निवेदन किया है कि अपीलार्थी की कृषि काश्त की कृषि भूमि खातेदारी हक अधिकार की मौजा कालन्द्री पटवार हल्का कालन्द्री II तहसील व जिला सिरोही मे आई हुई । जिसका पुराना खसरा संख्या 1829 रकबा 59 बीघा 19 विस्वा कुल किता 01 कुल रकबा 59 बीघा 19 विस्वा है जिसका नया खसरा संख्या 2426 रकबा 0.0600 हैक्टेयर,खसरा संख्या 2427 रकबा 9.6400 हैक्टेयर है कुल किता 2 कुल रकबा 9.7000 हैक्टेयर है। अपीलार्थी के पिता की मृत्यु दिनांक 15–4–2007 को हुई थी जिसमे उक्त मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर अपीलाथी द्वारा अपना नामान्तकरण उत्तराधिकारी दर्ज करवाने हेतु उक्त मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर स्थानीय पटवारी के पास जाकर अपीलार्थी द्वारा अपने पिता कीमृत्यु का प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि को को पटवारी को पेश की गई थी । अपीलार्थी द्वारा पिता की मृत्यु होने पर उत्तराधिकारी के रूपम` राजस्व जमाबंदी मे नामान्तकरण दर्ज करवाने हेतु स्थानीय पटवारी को अपीलाथी के पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि दिये जाने के साथ अपीलार्थी ने अपने नाम से संबंधित राजकीय या अर्द्वराजकीय दस्तावेज की प्रतिलिपियॉ साथ मे दिये गये थे जिसमे अपीलार्थी के समस्त दस्तावेजों मे सही नाम अर्जुनसिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपूत निवासी हस्तिनापुर गांव कालन्द्री तहसील व जिला सिरोही है लेकिन स्थानीय पटवारी द्वारा विभागीय त्रुटि होने से अर्जुनसिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपूत निवासी हस्तिनापुर गांव कालन्द्री तहसील व जिला सिरोही के स्थान पर पटवारी द्वारा लिपिकीय त्रुटी होने से अर्जुनसिंह के स्थान पर ओटसिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपूत निवासी हस्तिनापुर गांव कालन्द्री तहसील व जिला सिरोही के गलत नाम का नामान्तकरण दर्ज किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी का नाम अर्जुनसिंह पुत्र जयसिंह के स्थान पर ओटसिंह पुत्र जयसिंह गलत नाम दर्ज कर ग्राम पंचायत कालन्द्री ने नामान्तकरण स्वीकृत करने हेतु ग्रामसभा मे प्रस्तुत किया गया था जिसमे सरपंच व ग्राम सेवक (सचिव) द्वारा बिना जांच पडताल किये उक्त नामान्तकरण के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है जो कानूनन विधि विरूद्व होने से खारीज योग्य है। इसलिये उक्त नामान्तकरण को खारीज कर नये सिरे से नामान्तकरण मे दर्ज ओटसिंह पुत्र जयसिंह के स्थान पर अर्जुनसिंह पुत्र जयसिंह का नामान्तकरण दर्ज किया जाना आवश्यक होने से उक्त अपील माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत करने का कारण पैदा हुआ है। अपीलार्थी बाहर राज्य (महाराष्ट्र) तक प्राईवेट नौकरी करता है जो कभी कभी घर पर आता रहता है।अपीलार्थी को अपनी जमाबंदी खातेदारी अपनी कृषि भूमि की आवश्यकता होने पर स्थानीय पटवारी के पास जाकर जमाबंदी लेने पर अपीलार्थी को अपनी जमाबंदी मे अपना नाम पढने पर जानकारी हुइ की मेरी कृषि भूमि मे मेरा नाम अर्जुनसिंह के स्थान पर ओटसिंह गलत दर्ज किया गया है। इसलिये उक्त नामान्तकरण विधि विरूद्व होने से खारीज करवाकर पुनः अपीलार्थी का नाम ओटसिंह के स्थान पर अर्जुनसिंह पुत्र जयसिंह दर्ज करवाया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी को उक्त नामान्तकरण गल त दज करने से भारी शारीरिक ,मानसिंह ,व आर्थिक परेशानीयों का सामना करना पड रहा है। अतः अपीलार्थी का निवेदन है कि अपीलार्थी की यह

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही

Continue Page No 2

अपील स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम पंचायत कालन्द्री द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 727 दिनांक 11–6–2007 को अपास्त कर नये सिरे से अपीलाथी का नाम सही नामान्तकरण अर्जुनसिंह पुत्र जयसिंह दर्ज कराने का आदेश प्रदान करना फरमावें ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील व सलग्न विवादग्रस्त नामान्तकरण संख्या 727 की प्रमाणित प्रति, मौजा कालन्द्री II की जमाबंदी संवत 2050–2053 खसरा नंबर 1829 मौजा कालन्द्री II की जमाबंदी संवत 2070–2073 खसरा संख्या 2426 ,2427 किता 2 कुल क्षैत्रफल 9.7000 राशनकार्ड 15141 निर्वाचन पहचान पत्र ,आधार कार्ड, पेनकार्ड मृत्यु प्रमाण पत्र पिता जयसिंह दि 23–4–2007 की प्रतियों का गहनता पूर्वक अवलोकन करने पर अपील मे अंकित तथ्यों से न्यायालय प्रथम दृष्थियॉ सहमत होने से दिनांक 8–3–2019 को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 को जवाब पेश करने हेतु समन जारी किये गये ।

विचारण अपील प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 8–3–2019 को रेस्पोण्ट संख्या 1 व 2 के समन तामिलशुदा प्राप्त होने से शामिल मिसल किये गये तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 को जवाब पेश करने हेतु न्यायहित मे पर्याप्त अवसर दिये गये ।

विचारण अपील प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 8–3–2019 को दौराने सुनवाई रेस्पोडेण्ट संख्या 2 सरपंच ग्राम पंचायत कालन्द्री को समन तामिली होने के बावजूद हाजिर नही है जिस पर न्यायालय द्वारा दौराने सुनवाई रेस्पोडेण्ट संख्या 2 को हाजिर होने हेतु न्यायालय द्वारा बार बार आवाजे लगवाने के बावजूद स्वंय या इनके वकील प्रतिनिधि कोई भी न्यायालय समय तक हाजिर नही होने से न्यायालय द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 2 सरपंच ग्राम पंचायत कालन्द्री के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाने के आदेश दिये गये । दौराने सुनवाई रेस्पोडेण्ट संख्या 1 स्टेट तहसीलदार सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा जवाब पेश करने हेतू समय चाहने से न्यायालय हित मे समय दिया गया ।

इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 8–3–2019 को विचाराधीन अपील प्रकरण की सुनवाई के दौरान रेस्पोडेण्ट संख्या 1 तहसीलदार सिरोही को जवाब पेश करने हेतु इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21–5–2019 से निरन्तर पर्याप्त अवसर देने के बावजूद आज दिन तक करीबन 7 माह का समय व्यतीत होने के बावजूद जवाब पेश नही करने तथा सीपीसी के प्रावधानो के तहत 90 दिन की समयावधि मे जवाब प्रस्तुत करना आवश्यक है। न्यायहित मे स्टेट पैरोकार सरकार को जवाब पेश करने हेतु आगे समय दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होने से रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का जवाब बन्द किया जाता है। प्रकरण मे रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के विरूद्व न्यायालय द्वारा दिनांक 13–8–2019 को एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पूर्व मे ही दिये जाने के फलस्वरूप विचारण प्रकरण मे दौराने सुनवाई वकील अपीलांट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 स्टेट पैरोकार सरकार द्वारा विचारण अपील अ.धा. 75 एल.आर.एक्ट 1956 पर अंतिम बहस करने का निवेदन करने से अंतिम बहस सुनी गई ।

हमने विचाराधीन अपील प्रकरण मे वकील अपीलाण्ट तथा रेस्पोडेण्ट संख्या एक स्टेट पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार कालन्द्री) की अंतिम बहस पर गभीरता पूर्वक मनन किया । विचाराधीन अपील प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली मय अपील ,विवादित नामान्तकरण संख्या 727 , मौजा कालन्द्री II की जमाबंदी संवत 2050–2053 खसरा नंबर 1829 मौजा कालन्द्री II की जमाबंदी संवत 2070–2073 खसरा संख्या 2426 ,2427 किता 2 कुल क्षैत्रफल 9.7000 राशनकार्ड 15141 निर्वाचन पहचान पत्र ,आधार कार्ड, पेनकार्ड मृत्यु प्रमाण पत्र पिता जयसिंह दि 23–4–2007 की प्रतियों का गहनता पूर्वक अवलोकन करने व उस पर मनन करने के उपरान्त निष्कर्षत्यात्मक तथ्य यह उभर कर आये कि प्रकरण मे पत्रावली पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत राशनकार्ड 15141 निर्वाचन पहचान पत्र ,आधार कार्ड, पेनकार्ड की प्रतियों मे अपीलार्थी का नाम अर्जुनसिंह पुत्र जयसिंह राजपूत निवासी हस्तिनापुर गांव कालन्द्री तहसील सिरोही जिला सिरोही अंकित है जो सही है जिसके आधार पर अपीलार्थी ने यह अपील मय शपथपत्र प्रस्तुत किया है इस प्रकार अपीलार्थी के सही नाम अर्जुनसिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपूत निवासी मु.पो.हस्तिनापुर गांव कालन्दी की पुष्टि उक्तानुसार स्वतः ही होती है। लेकिन स्थानीय पटवारी द्वारा लिपिकीय त्रुटी होने से अर्जुनसिंह के स्थान पर ओटसिंह पुत्र जयसिंह राजपूत निवासी हस्तिनापुर गांव कालन्द्री तहसील सिरोही जिला सिरोही गलत नाम का नामान्तकरण दर्ज कर दिया तथा ग्रामपंचायत कालन्द्री ने नामान्तकरण स्वीकृत करने हेतु ग्रामसभा मे प्रस्तुत किया जिसमे सरपंच व

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही

Continue Page No 3

(सचिव) द्वारा बिना जॉच पडताल किये उक्त नामान्तकरण के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है जो कानूनन विधि विरूद्व है। पैरोकार सरकार ने अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा अपने सही नाम की पुष्टि हेतु प्रस्तुत राशनकार्ड 15141 निर्वाचन पहचान पत्र ,आधार कार्ड, पेनकार्ड के आधार पर अपीलार्थी के सही नाम अर्जुनसिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपूत निवासी हस्तिनापुर गांव कालन्द्री तहसील सिरोही जिला सिरोही के नाम का नया नामान्तकरण दर्ज करने मे कोई राजहित प्रभावित नही होने से कोई आपत्ति नही है। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर अपीलार्थी की यह अपील अर्न्तगत धारा 75 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत विरूद्व रेस्पोडेण्टस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। तथा अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 727 दिनांक 11–6–2007 ग्राम पंचायत कालन्द्री का उपरोक्त आधार पर विधि विरूद्व होने से अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार सिरोही को रिमाण्ड इस दिशा निर्देश के साथ किया जाता है कि अपीलार्थी को सुनवाई हेतु साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुये गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार नामान्तकरण दायर करने की कार्यवाही शीघ्र करें । निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(हॅसमख कुमार)
लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 12–2–2020 को मेरे हस्ताक्षर ,पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2020.02.21 14:43:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: